न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–17/2023 **तारीख दायरा:–06.06.2023**

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मुकटचन्द जाति वेश्य निवारी करबा नगर तहसील नगर जिला डीग।

––––वादी

बनाम

1. जैकम खांन पुत्र जग्गी जाति मेव निवासी करबा नगर तहसील नगर जिला डीग।
2. तहसीलदार तहसील नगर।

––––––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री प्रतापसिंह गुर्जर वादी।

निर्णय **दिनांकः–23.12.2024**

वादी द्वारा न्यायालय हाजा मे एक वाद बाबत विभाजन एंव अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 902/0.26, 905/0.27 बाके करबा नगर तहसील नगर मे स्थित है। जिसका वादी एंव प्रतिवादी के मध्य राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी मे अच्छी तथा बुरी मे से बुरी आराजी के कुर्रे बनाये जाकर विभाजन कर पृथक–पृथक खाता एंव पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई, तथा प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार नगर की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये जिन्होने जवाब दावा पेश करने से मना किया।

बहस उपरान्त प्रकरण मे दिनांक 23.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी जाकर वादी एंव प्रतिवादी के मध्य राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार अच्छी मे से अच्छी तथा बुरी मे से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र न्यायालय मे पेश करने बाबत आदेश प्रदान किये गए।

तहसीलदार नगर द्वारा वउनवानी प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्र कमांक/भू.अ./24/3309 दिनांक 09.12.2024 को न्यायालय हाजा को कुछ इस प्रकार से प्रेषित किये गए।

1. जैकम खान पुत्र जग्गी जाति मेव निवासी करबा नगर खसरा नं0 902/1/0.13, 905/1/0.1350 किता 02 खातेदार।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मुकट चन्द जाति वैश्य निवासी करबा नगर खसरा नं0 902/2/0.13, 905/2/0.1350 किता 02 खातेदार।

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नज़री नक्शा कुछ इस प्रकार से है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 15:36:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

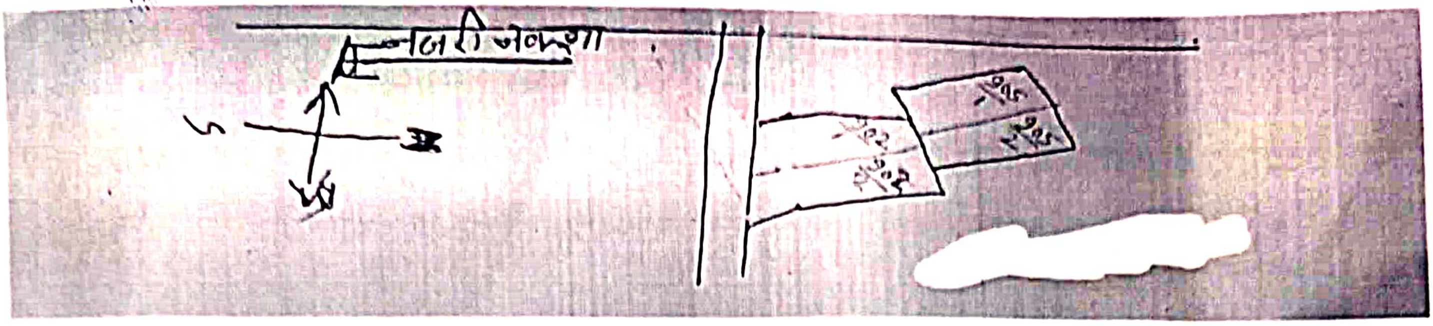

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियमए 1955 की धारा–53 के अन्तर्गत भूमि विभाजन के प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम–21 के अन्तर्गत केवल तहसीलदार के द्वारा ही तैयार किये जाने चाहिये।विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय मौका मुआयना करने हेतु जाते समय तहसीलदार द्वारा समस्त पक्षकारों को सूचना दी जानी चाहिए। विधि का यह सुनिश्चित प्रावधान है कि समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में ही मौका मुआयना किया जाना चाहिये एवं विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम **1955**के नियम–**18** से**21**के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये।कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार नगर द्वारा पक्षकारान को दिनांक 22-11-2024 को सूचित किया गया था। प्रतिवादी जैकम खान को तहसीलदार नगर द्वारा विधिवत रूप से नोटिस तामिल कराये जाने पश्चात् भी अनुपस्थित रहे। कुर्रेजात रिपोर्ट मे वादी मौके पर मौजूद होकर हस्ताक्षर किये तथा मौक़े पर उपस्थित गवाहान के भी हस्ताक्षर है। मौक़ा पर्चा तहसीलदार नगर द्वारा स्वयं ही तैयार किया गया है। उक्त खेत के भूभाग को अच्छे में से अच्छे और बुरे में से बुरे के न्यायिक सिध्दांत के अंतर्गत ही तैयार किया गया है। अतः नियमों के सन्दर्भ में कुर्रेज़ात रिपोर्ट प्रामाणिक व सही प्रतीत होती है जिसके अनुसार वादी रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है।

:: आदेश ::

अत वाद वादी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 09.12.2024 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा न0 902/0.26, 905/0.27 बाके कस्बा नगर तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी [illegible] अलग–अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे [illegible] प्रदान किये जाते है।

1. जैकम खान पुत्र जग्गी जाति मेव निवासी कस्बा नगर खसरा नं0 902/1/0.13, 905/1/0.1350 किता 02 खातेदार।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मुकट चन्द जाति मेव निवासी कस्बा नगर खसरा नं0 902/2/0.13, 905/2/0.1350 किता 02 खातेदार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 15:36:13 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नज़री नक़्शा कुछ इस प्रकार से है।

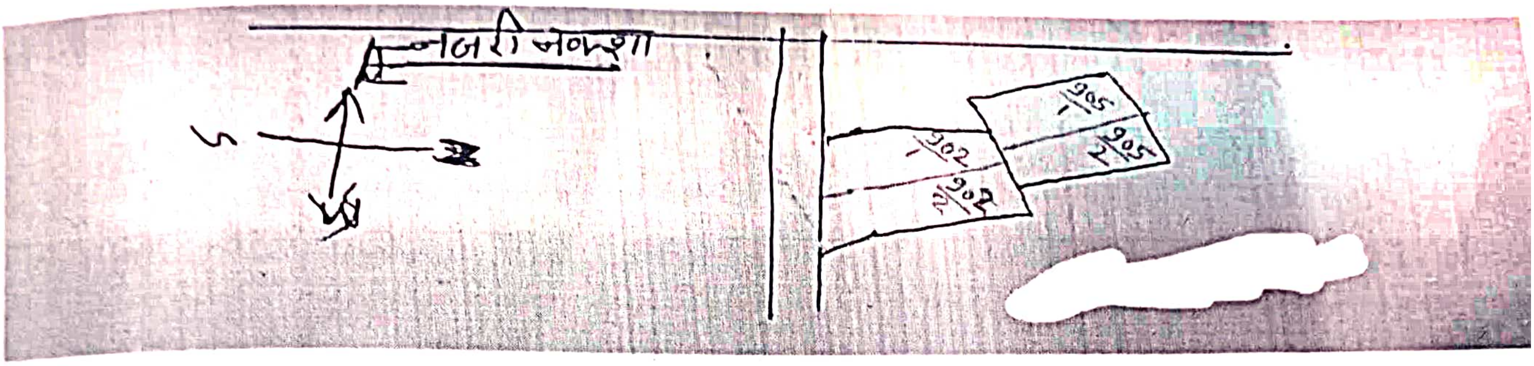

इसी प्रकार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

23/12/24

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 15:36:13 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकी व मुकदमे इब्तनाई
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–17/2023 **तारीख दायरा:–06.06.2023**

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मुकटचन्द जाति वेश्य निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

––––वादी

बनाम

1. जैकम खांन पुत्र जग्गी जाति मेव निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।
2. तहसीलदार तहसील नगर।

––––––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी श्री प्रतापसिंह गुर्जर अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री .... अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 09.12.2024 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा न0 902/0.26, 905/0.27 बाके कस्बा नगर तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग–अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. जैकम खान पुत्र जग्गी जाति मेव निवासी कस्बा नगर खसरा नं0 902/1/0.13, 905/1/0.1350 किता 02 खातेदार।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मुकट चन्द जाति मेव निवासी कस्बा नगर खसरा नं0 902/2/0.13, 905/2/0.1350 किता 02 खातेदार।

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नज़री नक़्शा कुछ इस प्रकार से है।

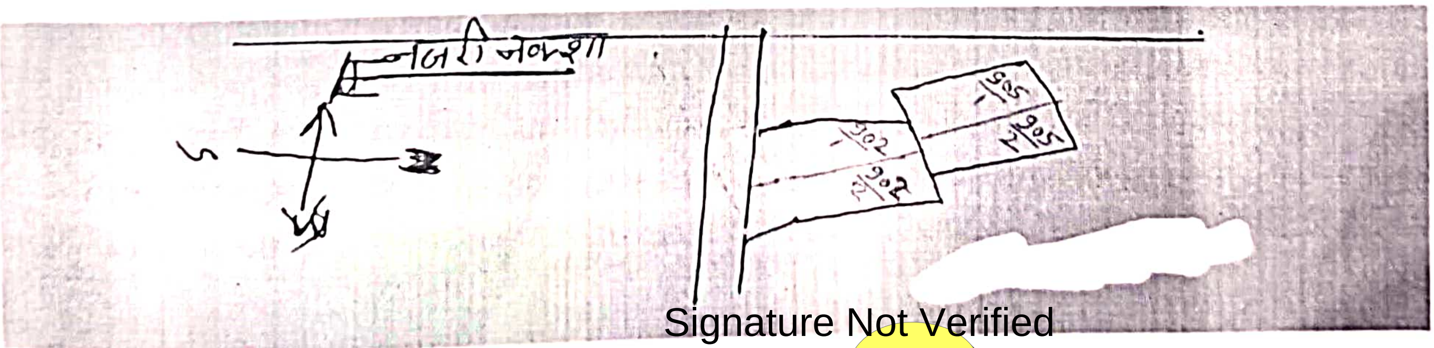

डिकी वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख [illegible] 2024 को जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.06 15:36.13 IST
Reason: SelfAttested

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग) राज0

उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग) राज0